वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा चावली के खाता संख्या 119
नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा चावली के खाता संख्या 114 प्रदर्श–2, जयनारायण पुत्र
पत्र प्रदर्श पेश किये। वकील वादी ने और साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राजीनामा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से
बहस नियत की गई।

वकील वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा
डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति
व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का
किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंशिकतः ताईद होती है तथा
प्रतिकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि
संख्या 1 ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व
धारा 53, 88, राजस्थान का तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। अतः हमारी राय में
हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार डेह
जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया
डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न
डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 जयनारायण के हक बंट कब्जे खातेदारी में मौजा चावली में खेत खसरा नम्बर 147 रकबा 2.4686 हैक्टेयर पूरा हक बंट रखा जाकर तथा खसरा नं. 141/1 रकबा 1.3789 हैक्टेयर में से रकबा 0.9713 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 राजुराम के हक बंट कब्जे खातेदारी में मौजा चावली में खेत खसरा नम्बर 249 रकबा 2.9866 हैक्टेयर, खसरा नं. 248 रकबा 0.0324 हैक्टेयर पूरा हक बंट जाकर तथा खसरा नम्बर 141/1 रकबा 1.3759 हैक्टर में से रकबा 0.4046 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी सं. 2 बाऊ देवी द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आव यक स्टाम्प भुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 11.02.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner